



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

संत कबीर नगर
धनघटा
241860030036617
563243013820

आरी दिनांक: 04/05/2024

प्रमाणित किया जाता है कि

पुन/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

राकेश मोतीलाल प्रजापती/Rakesh
Motilal Prajapati
मोतीलाल प्रजापती
मानमती
अलीनगर पोस्ट ताथनगर
अलीनगर
धनघटा
संत कबीर नगर



उत्तर प्रदेश राज्य की कुम्हार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि राकेश मोतीलाल प्रजापती/Rakesh Motilal Prajapati पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एक जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० पी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इसके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के विवेक सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इसके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा बिहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



Digitally Signed by
Yogendra Kumar Pandey
O=Personal
C=IN,CN=Yogendra
Kumar Pandey,S=Uttar
Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
धनघटा, संत कबीर नगर
दिनांक: 04/05/2024

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं आवेदक द्वारा स्वयं की तारीख इन आवेदों के माध्यम से डाउनलोड किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर दसवां पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० दर्जित कर, प्रमाणित किया जा सकता है।